न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम–मुकुट सिंह , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या–57 / 2023

दर्ज तिथि–05 / 06 / 2023

प्रार्थीगण

1. शंकर पुत्र धोण्या
2. श्यामा पुत्र धोण्या
   समस्त जाति सांसी निवासी ग्राम श्रीनगर तहसील तूंगा जिला जयपुर हाल वासी संगम विहार, दक्षिणी दिल्ली।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तूंगा तहसील तूंगा जिला जयपुर।
2. गुलाब देवी पत्नि सिंगाराम जाति सांसी निवासी ग्राम श्रीनगर तहसील तूंगा जिला जयपुर हालवासी मकान नम्बर बी–712, एस. एस. पब्लिक स्कूल संगम विहार महरौल साउथ दिल्ली।
3. हंसा पत्नि पप्पू जाति सांसी निवासी ग्राम श्रीनगर तहसील तूंगा जिला जयपुर हाल वासी मकान नम्बर ए344, जे.जे. कैम्प तिगडी डॉ0 अबेडकल नगर दक्षिण दिल्ली।
4. मुंशी पुत्र छगनलाल जाति सांसी निवासी ग्राम श्रीनगर तहसील तूंगा जिला जयपुर हालवासी संगम विहार, दक्षिण दिल्ली।
5. हरिनारायण पुत्र छगनलाल जाति सांसी निवासी ग्राम श्रीनगर तहसील तूंगा जिला जयपुर हालवासी संगम विहार दक्षिण दिल्ली।
6. प्रभात पुत्र जोधा जाति रैगर निवासी ग्राम बांसखोह तहसील तूंगा जिला जयपुर।
7. मंगलराम पुत्र लादया जाति रैगर निवासी ग्राम बासखोह तहसील तूंगा जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर. एक्ट, 1956

निर्णय दिनांक 12/06/2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर प्रार्थीगण की खातेदारी एवं काश्त की

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

भूमि खसरा संख्या 25/3 रकबा 0.8852 है0. वाके ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का पाटन भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटन तहसील तूंगा जिला जयपुर, में प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 25/3 रकबा 0.8852 है0. वाके ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का पाटन भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटन तहसील तूंगा जिला जयपुर द्वारा किये गए सीमाज्ञान दिनांक 27/06/2021 के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश चाहा है। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 5 को जवाब प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने हेतु अन्तिम अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया। अतः अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 05 का जवाब बन्द किया जाता हैं। अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 7 को जारी रजि0 डाक रसीद की द्वितीय प्रति पत्रावली में संलग्न है। रजि0 एडि करवाये एक माह से अधिक का समय हो जाने पर भी अप्रार्थी संख्या 06 लगायत 07 आज तक उपस्थित नहीं, लिहाजा सम्यक तामील मानी जाकर अप्रार्थी संख्या 06 लगायात 07 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली पर अप्रार्थीगण संख्या 1 जरिये तहसीलदार तूंगा की रिपोर्ट दिनांक 19/02/2024 एवं तहसीलदार तूंगा की प्रमाणित छायाप्रति रिपोर्ट दिनांक 02/05/2024 के अनुसार खसरा संख्या 25/3 रकबा 0.8852 है0. वाके ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का पाटन भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटन तहसील तूंगा जिला जयपुर प्रार्थी के खातेदारी में स्वीकार होना व विवादित अराजियात की सीमाए स्पष्ट है। तहसीलदार तूंगा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम सीमाज्ञान धारा 111 में विहित रिति से किये जाने का प्रावधान है। धारा 111 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सीमाज्ञान वर्तमान सर्वेक्षण मैप के आधार पर किया जावेगा। ग्राम श्रीनगर के सर्वेक्षण मैप में खसरा संख्या 25/3 रकबा 0.8852 है0. वाके ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का पाटन भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पाटन तहसील तूंगा जिला जयपुर, कि सीमाऐ स्पष्ट है। अप्रार्थी तहसीलदार तूंगा को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी कि विवादित भूमि के पडौसी काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर सूचित करते हुऐ, उक्त विवादित भूमि का

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)